



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112022-239989
CG-DL-E-02112022-239989

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4877]
No. 4877]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2022/कार्तिक 11, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2022

का.आ. 5096(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य के भागलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 के निर्माणधीन भागलपुर बाईपास के डिजाइन चनेज कि.मी. 132.530 से कि.मी. 132.685 (155 मी.) के निर्माण (चौड़ा करने दो/चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

बिहार राज्य के भागलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 के निर्माणधीन भागलपुर बाईपास के डिजाइन चनेज कि.मी. 132.530 से कि.मी. 132.685 (155 मी.) तक पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	बिहार	भागलपुर	नाथनगर	1 अंबई निस्फ

	भागलपुर	NH80 के कि.मी. 132.53 से 132.685 तक			
--	---------	---	--	--	--

[फा. सं. RW/NH/12037/96/2015/BR/P-3]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd November, 2022

S.O. 5096(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening two / four laning, etc.), maintenance, management and operation for under construction Bhagalpur bypass design chainage from km. 132.530 to 132.685(155 m) of the National Highway No. 80 in Bhagalpur district of the State of Bihar.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of under construction Bhagalpur bypass design chainage from km 132.530 to 132.685 (155 m) of the National Highway No. 80 in Bhagalpur district of the State of Bihar.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Aquisition Officer , Bhagalpur	132.53KM To 132.685KM	BIHAR	BHAGALPUR	Nathnagar	1 Ambai Nisf

[F. No. RW/NH/12037/96/2015/BR/P-3]

RAJESH GUPTA, Director